Phone & Fax no. 0135&2658294 ई–मेल : cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय–वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पत्रांक 1947 / 12–1(1) / देहरादून, दिनांक 19 मार्च, 2021

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

विषयः– **देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0(वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41है0 वन भूमि का नवीनीकरण के सम्बन्ध में।.(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FU/UK/SCH/ 40255/2019)**

सन्दर्भः– पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की फाईल सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 08 / 2021 / एफ0सी0 / 2187, दिनांक 28–01–2020 एंव आपका ई0डी0एस0, दिनांक 29 जनवरी, 2021

महोदय,

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र में इंगित आनलाईन आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 4224 / 12–1, दिनांक 17 मार्च, 2021(प्रति संलग्न) से आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 1947 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके पत्र सं0 4224 / 12–1, दिनांक 17 मार्च, 2021 के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून

दूरभाष : (0135)–2627612, फैक्स : (0135)–2627950
ई–मेल : dfodoon@gmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 4224 /12–1 देहरादून, दिनांक 17 मार्च, 2021.

17/3/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
देहरादून।

विषयः देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि का नवीनीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 08 / 2021 / एफ0सी0 / 2187 दिनांक 28–01– 2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव के क्रम में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) को लीज पर दी गयी भूमि में निर्मित केन्द्रीय विद्यालय के फलस्वरूप वन (संरक्षण), 1980 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में आख्या प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 06–03–2021 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है कि आई0डी0पी0एल0 को वर्ष 1963 में कमीशन (गठन) किया गया था। पुरानी बस्ती एक ही समय पर बनाने के साथ–साथ नई कॉलोनी के क्वार्टर तथा केन्द्रीय विद्यालय वर्ष 1978 में बनाये गये थे। उक्त स्कूल सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में वर्ष 1978 से वर्ष 2001 तक चलाया गया था, जो आई0डी0पी0एल0 की वित्तीय संकट के कारण वर्ष 2001 से वर्ष 2003 तक संचालन में नहीं रहा, जिसको स्थानीय जनमानस / जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर आई0डी0पी0एल0 की सहमति से माह अप्रैल वर्ष 2003 तें Civil Sector पुनः प्रारम्भ किया गया। अतएव जैसा कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्तवत् आख्या में उल्लिखित है कि प्रश्नगत विद्यालय का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, जिसमें तत्समय किस प्रकार से प्राविधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरित। अयान्वर्ग ह्य

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
नावली सं0 12-4(1)
रजिस्टर सं0 9076
दिनांक 19-03-2021

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : (1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

D/man

17/3

Ref : hp/desktop/forwarding